

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II-खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं० 104 (आर.ई. 2013)/2009-2014
नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014

विषय:- भैंस की चर्बी के निर्यात की अनुमति।

सा०आ० (अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-14 (समय-समय पर यथासंशोधित) के पैरा 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की सं० 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के अध्याय-15 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से क्रम सं० 91 की प्रविष्टि को संशोधित करती है तथा क्रम सं० 91क में नई प्रविष्टि शामिल करती है:

2. मौजूदा प्रविष्टि

अध्याय 15

पशु या वनस्पति वसा और तेल तथा उनके विदलन उत्पाद; निर्मित खाद्य वसा; पशु और वनस्पति मोम

| क्रम सं० | प्रशुल्क मद एचएस कोड | इकाई | मद विवरण | निर्यात नीति | प्रतिबंध का स्वरूप |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 91 | 15010000 15020010 15020020 15020030 15020090 15030000 15050010 15050020 15050090 15060010 15060090 | किग्रा. | मछली के तेल और लैनोलिन को छोड़कर किसी पशु मूल की चर्बी, वसा और/अथवा तेल | निषिद्ध | निर्यात की अनुमति नहीं है। |

संशोधित प्रविष्टि

अध्याय 15

पशु या वनस्पति वसा और तेल तथा उनके विदलन उत्पाद; निर्मित खाद्य वसा; पशु और वनस्पति मोम

| क्रम सं० | प्रशुल्क मद एचएस कोड | इकाई | मद विवरण | निर्यात नीति | प्रतिबंध का स्वरूप |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91 | 1501 15011000 15012000 15019000 1502 150210 15021010 15021090 150290 15029010 15029020 15029090 15030000 1505 150500 15050010 15050020 15050090 1506 150600 15060010 15060090 | किग्रा. | मछली के तेल, भैंस की चर्बी और लैनोलिन को छोड़कर किसी पशु मूल की चर्बी, वसा और/ अथवा तेल | प्रतिबंधित | निर्यात की अनुमति नहीं है। |
| 91क | 15021090 | किग्रा. | भैंस की चर्बी | मुक्त | निर्यात केवल एपीडा द्वारा पंजीकृत प्रतिपादन सुविधाओं वाले समेकित मांस संयंत्र से एपीडा द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं द्वारा अनिवार्य पोत लदानपूर्व जैव रासायनिक परीक्षण के अधीन अनुमत होगा। |

2. इस अधिसूचना का प्रभाव: भैंस की चर्बी के निर्यात को अनुमत किया गया है। भैंस की चर्बी के निर्यात को मद विवरण के अनुसार अनुमत किया जाएगा।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा०सं० 01/91/180/774/एएम10/निर्यात सेल से जारी)